UPBJ010003802024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 42/2024

सरकार बनाम मोनू कुमार आदि

आरोप

मै अवधेश कुमार प्रथम, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **मोनू कुमार, रोनू उर्फ गजेन्द्र कुमार, राजुल उर्फ राजकुमार** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 27–11–2023 को समय 20:00 बजे स्थान वहद ग्राम तिसौतरा थाना नांगल, जिला बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को सरिया तथा लोहे की रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को सरिया तथा लोहे की रॉड से हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **352** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2024.04.30 16:10:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को अपमानित करने के आशय से सरिया तथा लोहे की रॉड से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)द** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को सरिया व लोहे की रॉड से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 30–04–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 30–04–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

UPBJ010003802024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 42/2024

सरकार बनाम मोनू कुमार आदि

30–04–2024

पुकार पर अभियुक्तगण **मोनू कुमार, रोनू उर्फ गजेन्द्र कुमार, राजुल उर्फ राजकुमार** मय विद्वान अधिवक्त उपस्थित है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

अभियोजन पक्ष, व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दू पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण मोनू कुमार, रोनू उर्फ गजेन्द्र कुमार, राजुल उर्फ राजकुमार के विरूद्व धारा 323/34, 352, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस. टी. एक्ट का आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 30–04–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण मोनू कुमार, रोनू उर्फ गजेन्द्र कुमार, राजुल उर्फ राजकुमार के विरूद्व धारा 323/34, 352, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण का दावा किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 30–05–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 30–04–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।